



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 29.08.2023

जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से अवैध तमंचे, खोखा व जिंदा कारतूस किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निदेशन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी गुड्डन उर्फ गिरेन्द्र सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी ईकरी रोड लखना थाना बकेवर द्वारा थाना बकेवर पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 27.08.2023 को रात्रि को छोटू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र शंकर सिंह गौर, सनी पुत्र मुनेन्द्र व डी0जे0 उर्फ प्रदीप पुत्र शिवमंगल सिंह द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गयी तथा जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की गयी । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 330/23 धारा 307/504/506 भादवि बढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध एव आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 28/29.08.2023 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना बकेवर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 330/23 धारा 307/504/506 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्त छोटू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र शंकर सिंह गौर तथा सनी पुत्र मुनेन्द्र को इकरी तिराहे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 03 जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बरामद मोटरसाइकिल सहित समय 01.40 बजे गिरफ्तार किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बकेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 330/23 धारा 307/504/506 भादवि में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की बढोत्तरी की गयी है तथा बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. छोटू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र शंकर सिंह गौर निवासी ग्राम चिण्डौली थाना लवेदी जनपद इटावा उम्र 22 वर्ष ।
2. सनी पुत्र मुनेन्द्र निवासी ग्राम नवादा थाना लवेदी जनपद इटावा उम्र 26 वर्ष ।

बरामदगी-

1. 02 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 03 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 02 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 मोटरसाइकिल UP 75 AM 4709 (घटना में प्रयुक्त)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 330/23 धारा 307/504/506 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा

आपराधिक इतिहास-

सनी पुत्र मुनेन्द्र सिंह

1. मु0अ0स0 115/16 धारा 307/323/324/325/504 भादवि थाना लवेदी जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 56/17 धारा 364 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना लवेदी जनपद इटावा
3. मु0अ0स0 80/17 धारा 364/504/506 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना लवेदी जनपद इटावा
4. मु0अ0स0 122/17 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना लवेदी जनपद इटावा
5. मु0अ0स0 414/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा
6. मु0अ0स0 415/19 धारा 411/413 भादवि थाना बकेवर जनपद इटावा
7. मु0अ0स0 03/19 धारा 110 गुण्डा अधिनियम थाना लवेदी जनपद इटावा
8. मु0अ0स0 22/20 धारा 223/325/504 भादवि थाना लवेदी जनपद इटावा
9. मु0अ0स0 54/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना लवेदी जनपद इटावा
10. मु0अ0स0 59/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लवेदी जनपद इटावा
11. मु0अ0स0 330/2023 धारा 307/506/504 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा

छोटू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र शंकर सिंह गौर

1. मु0अ0स0 96/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना अजीतमल जनपद औरैया ।
2. मु0अ0स0 330/2023 धारा 307/506/504 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अमित मिश्रा थानाध्यक्ष बकेवर, उ0नि0 गंगासागर, हे0का0 विजय दीक्षित, का0 दुर्वेश, का0 रतन, का0 सोनू ।